प्रेषक विमल प्रकाश आर्य

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी। (चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

सेवा में श्रीमान महानिबन्धक महोदय

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

द्वारा श्रीमान जनपद न्यायाधीश

बलरामपुर ।

विषय : प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2021- 2022 को निरस्त (Expunge) कर उचित

प्रविष्टि दिये जाने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन।

महोदय

ससम्मान निवेदन करना है कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया द्वारा वर्ष 2021-2022 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि दिनॉक 30.05.2022 को दी गयी, और यह वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि मुझ न्यायिक अधिकारी को कभी भी संसूचित नहीं की गयी। यह वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि मुझ न्यायिक अधिकारी के पोर्टल पर अपलोड की गयी थी। मुझ न्यायिक अधिकारी द्वारा उक्त पोर्टल को कई बार खोला गया लेकिन उक्त पोर्टल कभी भी मुझ न्यायिक अधिकारी से नहीं खुला। मैंने अपने आशुलिपिक से भी उक्त पोर्टल को कई बार खुलवाया लेकिन उक्त पोर्टल आशुलिपिक भी नहीं खोल पाये, इस कारण उक्त वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि की कभी जानकारी ही नहीं हो सकी। जैसे ही वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि की मुझ न्यायिक अधिकारी को जानकारी हुई कि तब तक मुझ न्यायिक अधिकारी का स्थानांतरण जनपद झाँसी से जनपद बलरामपुर हो गया। जनपद बलरामपुर में कार्यभार ग्रहण करने व झाँसी के सरकारी आवास को रिक्त करने के उपरान्त तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार Action Plan 2022-2023 के तहत सभी पत्राविलयों को छॅटवाने, व्यवस्थित करवाने व अपलोड करवाने में व्यस्त होने के कारण उक्त प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। यदि उक्त वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि की जानकारी प्रारम्भ में ही हो जाती तो निश्चित रूप से मुझ न्यायिक अधिकारी द्वारा अविलम्ब प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर दिया जाता। इस प्रकार प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ है, वह उपरोक्त कारणों से हुआ है। माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ है, उसे क्षमा करते हुए प्रत्यावेदन पर सहानुभृतिपूर्वक विचार करने की कृपा करें।

श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा दी गयी प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2021-2022

दिनांकित 30.05.2022 को निरस्त (Expunge) करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रत्यावेदन के आधार निम्नवत हैं:-

महोदय सादर ससम्मान निवेदन करना है कि मुझ न्यायिक अधिकारी ने जनपद झाँसी में 1. दिनाँक 26. 09. 2019 को लघुवाद न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और दिनाँक 04. 07. 2022 को कार्यभार छोड़ा और इस दौरान कभी भी किसी पक्षकार/ अधिवक्ता ने कभी भी मेरी कोई शिकायत नहीं की। इस दौरान जनपद झाँसी में श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव व श्री अविनाश कुमार सक्सैना भी जनपद न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहे लेकिन उनके कार्यकाल में कभी कोई शिकायत नहीं हुई। यहाँ तक कि दिनाँक 26. 10. 2021 से पूर्व भी कभी किसी पक्षकार / अधिवक्ता ने मुझ न्यायिक अधिकारी की कोई शिकायत नहीं की, और किसी भी न्यायिक अधिकारी ने मेरी कभी भी कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं की। दिनाँक 26. 10. 2021 को जो तथाकथित फर्जी शिकायत जिला अधिवक्ता संघ झाँसी के नाम से हुई है , वह फर्जी शिकायत स्वयं श्रीमती ज्योत्सना शर्मा तत्कालीन जनपद न्यायाधीश झाँसी द्वारा जनपद झाँसी के टॉप - टेन अपराधी, अधिवक्ता श्री चन्द्र शेखर शुक्ला, श्री रमेश कुमार यादव एडवोकेट, श्री सुनील शुक्ला एडवोकेट आदि के माध्यम से मुझ न्यायिक अधिकारी पर अनुचित दबाव बनाने के लिए करायी गयी थी। श्रीमती ज्योत्सना शर्मा तत्कालीन जनपद न्यायाधीश झाँसी, मुझ न्यायिक अधिकारी के प्रति सदैव ही वैमनस्य व विदेश का भाव रखती रहीं थीं। उन्होंने मुझ न्यायिक अधिकारी को अपने कार्य - काल के दौरान सदैव ही मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का हर संभव प्रयास किया, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उनके द्वारा प्रेषित अनेकों अर्दुशासकीय पत्राँक हैं, लेकिन मुझ न्यायिक अधिकारी द्वारा अपने कार्यों के प्रति सदैव ही ईमानदारी व सत्य निष्ठा से कार्य किया गया। मुझ प्रार्थी द्वारा जनपद झाँसी में कार्यभार ग्रहण किये जाने के समय से कार्यभार छोड़ने के समय तक सदैव निष्पक्ष तरीके से गुण- दोष के आधार पर कार्य किया गया। मुझ न्यायिक अधिकारी की जो भी फर्जी शिकायतें हुई हैं, वे समस्त शिकायतें श्रीमती ज्योत्सना शर्मा तत्कालीन जनपद न्यायाधीश झाँसी के कहने पर श्री चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट, श्री रमेश यादव एडवोकेट, श्री सुनील शुक्ला एडवोकेट और माह फरवरी 2022 में श्री संतोष कुमार दोहरे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) झॉसी को संरक्षण दिये जाने, उनको उकसाने, बहलाने व फ़ुसलाने पर उनके द्वारा की गयी है। दिनाँक 22.02.2022 से दिनाँक 24.02.2022 तक श्रीमान जनपद न्यायाधीश की सलाह पर उक्त अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में शामियाना (टेन्ट) व माईक लगाकर न्यायालय कार्यावधि के दौरान धरना - प्रदर्शन व शौर- शराबा कारित किया लेकिन श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया ने उस धरना- प्रदर्शन व शोर- शराबा को बन्द नहीं करवाया जबकि उक्त अवधि में धारा 144 दं०प्र०सं० व चुनाव आचार संहिता लागू थी। मुझ न्यायिक अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में श्रीमान जनपद न्यायाधीश को दिनाँक 22. 02. 2022 को पत्र प्रेषित किया गया लेकिन उनके द्वारा कोई कार्यवाही इस बावत नहीं की गयी।

दिनाँक 24.02.2022 को पुनः उक्त अधिवक्ताओं के शोर - शराबा कारित किये जाने पर मुझ न्यायिक अधिकारी द्वारा इस तथ्य का आदेश पत्र पर उल्लेख किया गया और इस तथ्य की सूचना श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को प्रेषित की गयी तत्पश्चात उक्त धरना - प्रदर्शन समाप्त हुआ, इस सम्बन्ध में समस्त उल्लेख संलग्नक सं० 11. (xiii) (a) लगायत 11. (xiii) (g) में किया गया है। विषेष रूप से उल्लेख करना है कि माह अप्रैल 2022 के पश्चात से पुनः किसी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं हुई और श्रीमती ज्योत्सना शर्मा तत्कालीन जनपद न्यायाधीश झाँसी के दिनॉक 31.05.2022 को सेवानिवृत्त होने के पश्चात से मुझ प्रार्थी के कार्यभार छोड़ने की तिथि 04.07.2022 तक भी कोई शिकायत नहीं हुई।

- 2. श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया ने अपनी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में मुझ न्यायिक अधिकारी के जिन कार्यों के प्रति सराहना करते हुए जो सकारात्मक टिप्पणी की है , उससे यह ज्ञात होता है कि मुझ न्यायिक अधिकारी द्वारा सत्य निष्ठा व ईमानदारी से कार्य किया गया है। श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया द्वारा मुझ न्यायिक अधिकारी के कार्यों के प्रति की गयी सराहना, जो उन्होंने स्वंय स्वीकार किया है, के कुछ दृष्टान्त निम्नवत हैं:-
- 01. (a) यह कि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के **पैरा 01 (c)** में स्वयं श्रीमान जनपद न्यायाधीश ने यह स्वीकार किया है कि

01 (c) .	If he is cool minded and does not lose	He is deceptively cool and calculative.	
	temper in court.	Never loses temper.	

01. (b) यह कि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के पैरा 01 (e) में स्वयं यह स्वीकार किया है कि

01. (e). Control over the files in the matter of:

01. (e)(i)(a).	Proper fixation of cause list:	Yes
01. (e)(i)(b).	Whether sufficient number of cases are fixed by him to keep him engaged during full court hours?	Yes
01. (e)(ii).	Avoidance of unnecessary adjournments:	Unnecessary adjournments have been avoided.

01. (c) यह कि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के पैरा 01 (f) में स्वयं यह स्वीकार किया है कि

01 (f).	Whether Judgement on facts and on law are		w are	Judgements appear sound, well reasoned on			
	on	the	whole	sound,	well- reasoned	and	the face of it as appear from the copy of the
	expressed in good language?:		judgments sent to the undersigned.				

Note:- The following factors should also be indicated in filling up this column:

01 (f) (i) .	Marshalling of facts;	Proper
01 (f) (ii) .	Appreciation of evidences;	Proper
01 (f) (iii) .	Application of law.	Proper

01 (g) (ii).	Number of cases decided wherein all witnesses of fact Nil
	turned hostile and the case ended in acquittal.

01. (d) यह कि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के पैरा 01 (g) (iv) में स्वयं यह स्वीकार किया है कि

01. (g) (iv).	Number of cases wherein after conclusion of arguments and	NIL
	reserving them for judgment, rehearing was ordered.	

01 (h).	Control over the Office and Administrative capacity and Good
	tact:

01 (k) .	Whether the officer has made regular inspections of his court and offices	
	in his charge and whether such inspections were full and effective.	

01. (e) यह कि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के पैरा 01 (l) में स्वयं यह स्वीकार किया है कि

01 (I) .	His punctuality and regularity in sitting on the dais in	Punctual and regular
	court during court hours?	

3. (i) माननीय महोदय यह अत्यन्त ही विचारणीय एवं सुसंगत प्रश्न है कि जिस न्यायिक अधिकारी के सम्बन्ध में स्वंय श्रीमान जनपद न्यायाधीश उपरोक्तानुसार आंकलन कर रहीं हैं वह न्यायिक अधिकारी किस प्रकार से गलत हो सकता है। श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय की उपरोक्त टिप्पणी यह दर्शाती है कि मुझ न्यायिक अधिकारी समय से व नियमित रूप से कोर्ट में डायस पर बैठता रहा है, वह शान्त प्रवृत्ति का है। Cause list Proper तरीके से fix की जाती है। During full court hours स्वंय को engaged रखने के लिए, उसके द्वारा sufficient number of cases fix किए गये। उसके द्वारा Unnecessary adjournments have been avoided. Judgment on facts and on law are on the whole sound, well-reasoned and expressed in good language. Marshalling of fact, Appreciation of evidences and Application of law is

Proper. In none case wherein after conclusion of arguments and reserving them for judgment, rehearing was ordered. Control over his office and administrative capacity and tact is effective. He is punctual as well as regular in sitting on the dais in court. Behaviour towards women (respect and sensitivity, No woman made any complaint.

- (ii) उपरोक्त टिप्पणियाँ यह दर्शाती हैं कि मुझ न्यायिक अधिकारी द्वारा न्यायालय में जो भी कार्य किया गया वह उचित तरीके से किया गया उसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। उसके बावजूद Remark में मुझ न्यायिक अधिकारी की Integrity को जानबूझकर, वैमनस्य व विदेष के भाव के तहत withhold किया गया और यह अंकित किया गया "kindly see remark column" लेकिन यह नहीं दर्शाया गया कि इस बावत कौन सा 'remark column' है और कौन सा संलग्नक है।
- (iii) ठीक इसी प्रकार Remarks में यह अंकित करना कि he is not fair and impartial in dealing with the public and bar, "kindly see remark column" यह प्रविष्टि भी जानबूझकर, वैमनस्य व विद्वेष के भाव के तहत अंकित की गयी है और इसमें भी नहीं दर्शाया गया है कि इस बावत कौन सा 'remark column' है और कौन सा संलग्नक है।
- (iv) ठीक इसी प्रकार Remarks में यह अंकित करना कि "litigants and members of bar do not entertain good opinion about him in general" यह प्रविष्टि भी जानबूझकर, वैमनस्य व विद्रेष के भाव के तहत अंकित की गयी है जबिक पक्षकार व बार के अधिवक्तागण मेरे न्यायालय में अधिकांशतः कार्य करते थे, और सबसे अधिक साक्ष्य मेरे न्यायालय में ही अंकित हुआ। यदि पक्षकार या अधिवक्तागणों की, मेरे बारे में अच्छी राय नहीं होती तो मेरे न्यायालय में इतना अधिक कार्य नहीं होता। उदाहरण स्वरूप जनपद झाँसी में माह सितम्बर 2021, माह अक्टूबर 2021 में मेरे न्यायालय में जो कार्य हुआ, इस सम्बन्ध में श्री मृदुत कांत श्रीवास्तव जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जारी सूची की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।
- (v) इसी प्रकार Remarks में यह अंकित करना कि "however for other administrative assignments kindly see remark column" यह प्रविष्टि भी जानबूझकर, वैमनस्य व विद्वेष के भाव के तहत अंकित की गयी है । जिस सम्बन्ध में यह प्रविष्टि अंकित की गयी है और जो संलग्नक सं० 04 व 07 के रूप में संलग्न किया गया है और जो अर्दू शासकीय पत्रांक सं० 07/ 2021 दिनाँक 01. 07. 2021 जारी किया गया है उसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त पत्रांक कभी भी मेरे न्यायालय में प्राप्त हीं नहीं कराया गया जिसका उल्लेख मेरे द्वारा अपने स्पष्टीकरण दिनाँकित 15. 07. 2021 मय संलग्नक (पेशकार की आख्या) में किया गया है, जिसे श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा संलग्नक सं० 07 में दर्शाया गया है)।
 - (vi) श्रीमान जनपद न्यायाधीश को, उक्त कार्य के निष्पादन हेतु, पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध

कराने हेतु पत्र भी प्रेषित किये गये। उपलब्ध कर्मचारी द्वारा संतोषजनक तरीके से कार्य नहीं किया गया जिसकी सूचना समय- समय पर श्रीमान जनपद न्यायाधीश को मेरे द्वारा दी गयी लेकिन उपलब्ध कर्मचारियों के कार्यों के लिए उनके विरूद्ध कभी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मुझ न्यायिक अधिकारी के द्वारा प्रेषित पत्रों के बावजूद मुझे उक्त कार्य के निष्पादन हेतु अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध न कराना व उपलब्ध कर्मचारियों के लापरवाही व दोषपूर्ण कार्यों के बावत उनके विरूद्ध कार्यवाही न करना, इससे प्रतीत होता है कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश मुझ न्यायिक अधिकारी के प्रति किस तरीके से विदेष व वैमनस्य का भाव रखतीं थीं।

[संलग्नक सं० 02 (a) एवं 02 (b)]

- (vii) जहाँ तक Relation with members of bar (mention incident, if any), के बावत अंकित किया है कि "kindly see remark column" लेकिन यह नहीं दर्शाया गया कि इस बावत कौन सा 'remark column' है।
- (viii) महोदय इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री उदय राजपूत, अध्यक्ष व श्री छोटे लाल वर्मा, सचिव (जिला अधिवक्ता संघ झाँसी) हैं, और उनके द्वारा बार के अध्यक्ष व सचिव की हैसियत से मुझ न्यायिक अधिकारी की कभी कोई शिकायत नहीं की गयी।

श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा, शिकायत के बावत जो भी संलग्नक बताये गये हैं , वह सभी शिकायतें असत्य व निराधार हैं जिसका उल्लेख मुझ प्रार्थी द्वारा पैरा 01 में किया गया है ।

- 4. (i) महोदय यह भी सादर अनुरोध करना है कि दिनाँक 26. 10. 2021 को (समस्त अधिवक्तागण) जिला अधिवक्ता संघ के नाम से की गयी शिकायत पूर्णतया फर्जी है। यह शिकायत चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट व उसके साथी एवं अपराधी अधिवक्ताओं ने श्रीमती ज्योत्सना शर्मा तत्कालीन जनपद न्यायाधीश के कहने, उकसाने व प्रोत्साहन देने पर ही की है। यह भी अवगत कराना है कि उक्त शिकायत जिला अधिवक्ता संघ झाँसी के पैड पर नहीं है। यह भी अवगत करना है कि जिन अधिवक्ताओं के नाम इस शिकायत में लिखे गये हैं, उनमें से अधिकांश अधिवक्ताओं ने कोई शिकायत कभी भी नहीं की, और अधिकांशतः अधिवक्ता न तो कभी मेरे न्यायालय में आये और न ही मुझे जानते व पहचानते हैं, इसलिए उनके द्वारा शिकायत करने का कोई भी प्रश्न ही नहीं उठता है।
- (ii) श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया ने अपनी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में मुझ न्यायिक अधिकारी के जिन कार्यों के प्रति जो नकारात्मक टिप्पणी की है, वह टिप्पणी मुझ न्यायिक अधिकारी के प्रति विद्वेष, वैमनस्य व असदभाविक दृष्टिकोण रखते हुए मुझे तंग, हैरान व परेशान करने के लिए की गयी है और उनके सम्बन्ध में जो भी दस्तावेज संलग्न किये गये हैं, वे सुसंगत दस्तावेज नहीं हैं। जो भी शिकायते संलग्नक के रूप में दर्शायी गयी हैं, वे समस्त शिकायतें श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया के कहने पर ही हुई है, उनमें से एक भी शिकायत न तो बार के अध्यक्ष और न ही सचिव द्वारा की गयी हैं, और न ही उनके द्वारा अग्रसारित की

गयी है। अधिकांशतः शिकायतें 1. श्री चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट, 2. श्री रमेश कुमार यादव एडवोकेट व 3. श्री संतोष कुमार दोहरे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के माध्यम से करवायी गयी हैं।

[संलग्नक सं० 04 (a)]

- (iii) महोदय यह भी अवगत कराना है कि माह सितम्बर, 2019 से माह जुलाई 2021 तक श्री रमेश कुमार यादव एडवोकेट बार के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा कभी कोई शिकायत नहीं की गयी, इसीलिए श्रीमान जनपद न्यायाधीश ने उनके इस बावत किसी भी शिकायती प्रार्थनापत्र को संलग्न के रूप में नहीं दर्शाया है।
- (iv) यहाँ यह भी उल्लेख करना है कि मेरे न्यायालय में विचाराधीन कुछ पत्राविलयाँ जिनमें श्री रमेश कुमार यादव, अभियुक्तगणों के अधिवक्ता थे, श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया ने उन्हें, मेरी, झूठी शिकायत के एवज में उन्हें खुश करने के लिए, मेरे न्यायालय में विचाराधीन कुछ पत्राविलयाँ जिनमें S. T. No. 09/2018 राज्य बनाम करन सिंह एवं अन्य (बहस में नियत), S. T. No. 380/11 राज्य बनाम संतोष एवं अन्य (सफाई साक्ष्य में नियत) व S. T. No. 30/2010 राज्य बनाम दुर्गा प्रसाद एवं अन्य (सफाई साक्ष्य में नियत), उनके कहे न्यायालय में दिनाँक 18. 11. 2021 को स्थानांतिरत भी किया।

[संलग्नक सं० 04 (b)]

5. (a) श्री रमेश कुमार यादव एडवोकेट के माध्यम से करवायी गयीं फर्जी व झूठी शिकायतें। [संलग्नक सं० 05 (a)]

(b) उक्त शिकायत के बावत प्राप्त सत्य प्रतिलिपि की छायाप्रतियाँ, जिनका उल्लेख अवमानना प्रार्थनापत्र दिनाँकित 05. 05. 2021 पेज सं० 08 संलग्नक सं० 2/4 लगायत 2/9 में किया गया है। [संलग्नक सं० 05 (b)]

(c) श्री रमेश कुमार यादव एडवोकेट द्वारा शिकायतकर्ता संजय कुमार यादव के माध्यम से करवायी गयी फर्जी व झूठी शिकायत, दिनाँक 14.06.2021 को जमानत प्रार्थनापत्रों पर पारित आदेश व आदेश पत्र दिनाँक 14.06.2021 की सत्यप्रतिलिपि, जिनका उल्लेख अवमानना प्रार्थनापत्र दिनाँकित 05.05.2021 पेज सं० 10 में अन्तिम पंक्ति व संलग्नक सं० 2/13 लगायत 2/18 में है, में किया गया है।

[संलग्नक सं० 05 (c)]

(d) शिकायतकर्ता संजय कुमार यादव के द्वारा कोई नवीन शिकायती प्रार्थनापत्र नहीं दिया गया, उसके बावजूद मुझ प्रार्थी को जानबूझकर हैरान परेशान करने के लिए अर्दू शासकीय पत्रांक 20/ CAO दिनाँकित 27. 10. 2021 स्वतः जारी किया गया जिसके सम्बन्ध में मुझ प्रार्थी द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी।

[संलग्नक सं० 05 (d)]

6. (a) श्री चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट के माध्यम से करवायी गयीं फर्जी व झूठी शिकायतें व

- (b) श्री चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट एवं उसके मैली मददगार श्री संतोष कुमार दोहरे एडवोकेट द्वारा फर्जी तरीके से तैयार किया गया एक किता जुड़वा सम्मन के बावत जन सूचना अधिकार के तहत दिये गये आवेदनपत्र एवं प्राप्त आख्या व एक किता जुड़वा सम्मन की प्रमाणित प्रति। [संलग्नक सं० 06 (b)]
- (c) श्री चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट एवं उसके मैली मददगार श्री संतोष कुमार दोहरे एडवोकेट द्वारा फर्जी तरीके से तैयार किया गया एक किता जुड़वा सम्मन के आधार पर श्रीमान जनपद न्यायाधीश को जो शिकायत दिनाँक 02. 12. 2021 को की गयी और जो स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र दिनाँक 16. 12. 2021 को प्रस्तुत किया गया, वह सम्मन दिनाँक 23. 12. 2021 को तामील हुआ था, अर्थात सम्मन दिनाँक 23. 12. 2021 को तामील हुआ जबिक शिकायती प्रार्थनापत्र दिनाँकित 02. 12. 2021 व स्थानांतरण प्रार्थनापत्र दिन 16. 12. 2021, सम्मन तामील होने के पूर्व ही प्रेषित किया गया था। नोट: यह तामील शुदा सम्मन एक प्रति में है, जबिक शिकायत एक किता जुड़वा सम्मन के आधार पर की गयी थी जिसके एक भाग पर सफैदा लगा हुआ है जबिक तामील शुदा सम्मन में सम्बन्धित लिपिक द्वारा checked by me अंकित है, इस सम्मन में SHO ने दिनाँक 01. 12. 2021 को यह सम्मन IC/ OP जेल को तामील करने हेतु निर्देशित किया है, और शिकायती एक किता जुड़वा सम्मन में यह कहीं अंकित नहीं है।

[संलग्नक सं**०** 06 (c)]

- (d) श्री चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट द्वारा फर्जी तरीके से बनाये गये एक किता जुड़वा सम्मन के बावत सम्बन्धित लिपिक की आख्या। [संलग्नक सं० 06 (d)]
 - (e) श्री चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट का आपराधिक इतिहास। [संलग्नक सं० 06 (e)]
- 07. श्री संतोष कुमार दोहरे एडवोकेट व उसके अपने अन्य मैली- मददगार अधिवक्ताओं से करवायी गयीं तथाकथित फर्जी व झूठी शिकायतें। [संलग्नक सं० 07]
- 08. महोदय, संलग्नक सं० 01 में वर्णित व संलग्न छायाप्रति हुसैन खाँ के प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्रीमती फरीदा बेगम ने न्यायालय के समक्ष गलत व अवैध दस्तावेज प्रस्तुत किया, जिन्हें मुझ न्यायिक अधिकारी द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया था लेकिन जनपद न्यायाधीश महोदया ने बिना पत्रावली, अवैध दस्तावेज व मेरी आख्या का अवलोकन किये उक्त पत्रावली को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (डकैती) के न्यायालय में स्थानांरित कर दिया। यहाँ यह भी अवगत करना है कि उक्त श्रीमती फरीदा बैगम ने न्यायालय

विशेष न्यायाधीश (डकैती) के न्यायालय में उस जमानतदार व दस्तावेज को प्रस्तुत ही नहीं किया जिसके बावत मुझ न्यायिक अधिकारी द्वारा उन्हें नोटिस प्रेषित किया गया था। श्रीमान जनपद न्यायाधीश ने उक्त पत्रावली को स्थानांतिरत करके, न्यायालय के समक्ष अवैध दस्तावेज प्रस्तुत करने वाली जमानतदार के विरुद्ध कार्यवाही करने से बचाने का प्रयास किया। उक्त जमानतदार ने न्यायालय विशेष न्यायाधीश (डकैती) के न्यायालय में वह दस्तावेज पुनः प्रस्तुत ही नहीं किया जिस आधार पर उसने, मेरे विरुद्ध शिकायती प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था। [संलग्नक सं० 08]

09. महोदय, संलग्नक सं० 05 व 06 में वर्णित व संलग्न दस्तावेजों के बावत अवगत कराना है कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश ने मुझ न्यायिक अधिकारी व मेरे न्यायालय के कर्मचारियों द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण को जानबूझकर संलग्न नहीं किया है।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि मुझ न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक जाँच सं० 19/21 से सम्बन्धित सत्र परीक्षण सं० 154/2018 राज्य बनाम भज्जू उर्फ भजन लाल में श्री मनोज दीक्षित लिपिक को प्रेषित नोटिस संलग्न ही नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त तत्कालीन श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा दी गयी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2019- 2020 को भी जानबूझकर संलग्न नहीं किया गया है जिसमें तत्कालीन श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा मुझ न्यायिक अधिकारी की Integrity - Beyond Doubt, Relation with members of bar-Cordial, Behavior in relation to brother officers- Good बताया है। [संलग्नक सं० 09] उल्लेखनीय है कि ज्यादातर वही अधिकारी वर्तमान समय तक पदस्थ रहे जो वर्ष 2019-2020 में तत्कालीन श्रीमान जनपद न्यायाधीश श्री अविनाश सक्सैना महोदय के कार्यकाल में पदस्थ रहे थे।

10. श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया ने अपने द्वारा दी गयी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2021-2022 में जो भी नकारात्मक टिप्पणी अंकित की है, वह समस्त नकारात्मक टिप्पणी विद्वेष व वैमनस्य की भावना से अंकित की है, जिसका उल्लेख मुझ प्रार्थी द्वारा पैरा 01, 03, 04, 05, 06 व 07 में किया गया है, एवं समस्त सुसंगत दस्तावेज संलग्नक के रूप में संलग्न किये गये हैं।

मुझ न्यायिक अधिकारी के कार्य व आचरण के बावत तत्कालीन श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय को विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रेषित पत्र दिनाँकित 20. 12. 2019 | संलग्नक सं० 10]

- 11. (a) श्रीमती ज्योत्सना शर्मा जनपद न्यायाधीश झाँसी द्वारा दिनाँक वर्ष 2021- 2022 में प्रेषित अर्दू शासकीय पत्रांक व सन्दर्भ। [संलग्नक सं॰ 11. (i) एवं 11. (ii)]
 - (b) कर्मचारियों द्वारा कॉज लिस्ट समय से तैयार न करने, पत्रावलियाँ समय से न्यायालय

में प्रस्तुत न करने पर श्रीमान जनपद न्यायाधीश को शिकायतें प्रेषित की गयीं, लेकिन किसी के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी। [संलग्नक सं० 11. (iii) to 11. (viii)]

- (c) मुझ न्यायिक अधिकारी ने सरकारी आवास पर लगे टेलीफोन कनेक्शन आदि तथा सरकारी सम्पत्ति (पानी के टैंक व पाईप लाईन) को क्षतिग्रस्त कर देने की सूचना प्रेषित की, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं की गयीं, और न ही अपने कार्यकाल में पानी के टैंक को बदलवाया गया और आवास रिक्त होने पर भी (मेरा आपरेशन होने के बावजूद) मुझे आवास आवंटित नहीं किया गया। [संलग्नक संo 11. (ix)]
- (d) श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा जिन न्यायिक अधिकारियों को उत्तम / उति उत्तम प्रविष्टि दी गयी, उन न्यायिक अधिकारियों के आदेश के विरूद्ध संस्थित फौजदारी निगरानी में पारित आदेश।
- (e) श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा, मुझ न्यायिक अधिकारी की Integrity को not beyond doubt और मेरे कार्य को is not fair and impartial in dealing with the public and bar बताया गया, इस सम्बन्ध में मुझ न्यायिक अधिकारी के द्वारा सत्र परीक्षण सं० 95/2018 राज्य बनाम प्रकाश कुशवाहा एवं अन्य के विरुद्ध संस्थित फौजदारी निगरानी सं० 2193/2021 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाँक 11. 10. 2021.
- (f) श्रीमान जनपद न्यायाधीश ने प्रविष्टि में जो यह टिप्प्णी की है कि "He is not fair and impartial in dealing with bar" और जो संलग्नक बतायें हैं, उनके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश ने यह कहीं स्पष्ट नहीं किया है कि मैं, न्यायिक अधिकारी किस प्रकार से fair and impartial in dealing with bar नहीं हूँ और मुझ न्यायिक अधिकारी द्वारा कौन सा आदेश विधिविरूद्ध तरीके से पारित किया गया है।

महोदय, यहाँ यह भी उल्लेख करना है कि मुझ न्यायिक अधिकारी द्वारा जो भी आदेश पारित किये हैं, उनमें से कोई भी आदेश श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा संलग्न नहीं किया गया है जिससे प्रथम दृष्टया यह ज्ञात होता है कि मेरे द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से आदेश पारित किये गये हैं। [संलग्नक सं० 11. (xii)]

(g) मुझ न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रेषित अवमानना प्रार्थनापत्र को श्रीमान जनपद न्यायाधीश के कहने पर श्री जानकी प्रसाद CAO ने प्राप्त नहीं किया और न ही श्रीमान जनपद न्यायाधीश ने अग्रसारित किया, और अन्त में स्मृतिपत्र प्रेषित किये जाने पर Back date अर्थात दिनाँक 12.05.2022 में दिनाँक

09. 05. 2022 की तिथि अंकित कर अग्रसारित किया जो मेरे न्यायालय में दिनाँक 12. 05. 2022 को समय 13:30 बजे पेशकार को प्राप्त कराया गया जबिक न्यायालय का कार्यकाल समाप्त हो चुका था जिसे पेशकार ने मेरे समक्ष दिनाँक 13. 05. 2022 को प्रस्तुत किया तब मुझ न्यायिक अधिकारी द्वारा दिनाँक 13. 05. 2022 को श्रीमान जनपद न्यायाधीश को इस बावत पुनः पत्र प्रेषित किया गया।

[संलग्नक सं॰ 11. (xiii) (a), (b), (c), (d), (e), (f) & (g)]

- 12. अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट के द्वारा फर्जी तरीके से एक किता जुड़वा सम्मन को तामील हुए बिना शिकायती प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जबिक यह सम्मन अभियुक्त पर दिनाँक 23. 12. 2021 को तामील हुआ जिसकी एक तामील शुदा प्रति की सत्यप्रतिलिपि संलग्न की गयी है, अभियुक्त के द्वारा बिना तामील सम्मन तामील हुए एक किता जुड़वा सम्मन के आधार पर शिकायत करने पर मुझ न्यायिक अधिकारी द्वारा श्रीमान जनपद न्यायाधीश को, अभियुक्त के विरूद्व कार्यवाही करने हेतु आवेदनपत्र दिनाँक 30. 03. 2021 को प्रस्तुत किया गया लेकिन जनपद न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त को बचाते हुए उसके विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं की गयी।
- (a) अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट व संतोष कुमार दोहरे के विरूद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट। [संलग्नक संo 12. (a)]
- (b) मेरे द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र दिनाँकित 30.03.2021 के बावत श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा गलत तरीके से जारी पत्र व अर्दू शासकीय पत्रांक व मेरे द्वारा प्रेषित आख्या।

- (c) शिकायतकर्ता श्री संजय यादव के द्वारा कोई नवीन शिकायती प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये बिना श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा स्वतः अर्दू शासकीय पत्रांक जारी किया गया एवं प्रस्तुत अख्या। [संलग्नक सं० 12. (c)]
- 13. दिनाँक 22. 02. 2022 से दिनाँक 24. 02. 2022 तक जो भी धरना-प्रदर्शन हुआ वह बार के अध्यक्ष व सचिव द्वारा आयोजित नहीं था। [संलग्नक सं० 13]
- 14. (a) श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया ने अपने सेवानिवित्त के पूर्व प्रत्येक न्यायिक अधिकारी से मु॰ 6,000- 6,000 रूपये वसूल करवाये जिसमें मुझ न्यायिक अधिकारी द्वारा मु॰ 500. 00 रूपये दिये गये।
- (b) इस एकत्रित धनराशि में से मु॰ 10,500 रूपये CJM झाँसी को, श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया की साड़ी क्रय करने हेतु दिये गये। [संलग्नक सं॰ 14 (b)]

- 15. (a) श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा संलग्न, संलग्नक सं० 01,02, 03 व 04 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मुझ प्रार्थी के विरूद्व श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया विद्वेष का भाव रखती थी, और उन्होंने ही मेरे विरूद्व झाँसी के टॉप टेन अपराधी चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट, श्री रमेश यादव एडवोकेट आदि के माध्यम से मेरे विरूद्व झूठी व फर्जी शिकायतें मुझ पर अनुचित दवाब बनाने के लिए करवायी। इस सम्बन्ध में उल्लेख प्रत्यावेदन के पैरा 01, 03, 04, 05, 06 व 07 में किया गया है, एवं समस्त सुसंगत दस्तावेज संलग्नक के रूप में संलग्न किये गये हैं।
- (b) (i) जहाँ तक सत्र परीक्षण सं० 267/2015 राज्य बनाम किशोर बाल्मीिक के शिकायतकर्ता श्री के० पी० श्रीवास्तव एडवोकेट का सम्बन्ध है , इस सम्बन्ध में निवेदन करना है कि इस शिकायती प्रार्थनापत्र के साथ निर्णय की कोई प्रति जानबूझकर संलग्न नहीं करवायी गयी है । **इस मामले में** युटिहल, जब वह रेलवे अस्पताल झाँसी में भर्ती था , उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया गया था , उसे गंभीर अवस्था में मेडीकल कालेज झाँसी में भर्ती कराया गया था ।
- (मं) इसी संलग्नक मे श्री संतोष कुमार दोहरे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व अन्य अधिवक्ताओं द्वारा जिला अधिवक्ता संघ झाँसी के द्वारा दिनाँक 09.02.2022 को न्यायालय परिसर में धरना- प्रदर्शन करने की खुले आम धमकी दी जा रही है। श्रीमती ज्योत्सना शर्मा तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदया को इस तथ्य की पूर्ण जानकारी रही है कि झाँसी में जिला अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष कौन है। न्यायालय परिसर में खुले आम धरना- प्रदर्शन किया जा रहा है और श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया कोई भी संज्ञान नहीं ले रही हैं, इससे स्पष्ट है कि उक्त धरना- प्रदर्शन स्वंय श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया द्वारा ही उक्त अपराधी प्रवृत्ति के अधिवक्ताओं के माध्यम से कराया गया था। मुझ न्यायिक अधिकारी ने श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को दिनाँक 22.02.2022 व दिनाँक 24.02.2022 को इस सम्बन्ध में सूचित भी किया लेकिन श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया ने मेरे उक्त पत्र को जानबूझकर संलग्न ही नहीं किया।
- (iii) यह भी अवगत कराना है कि उक्त धरना- प्रदर्शन अध्यक्ष व सचिव जिला बार संघ झाँसी द्वारा नहीं किया गया था और न ही उनकी कोई सहमति थी, जिसके सम्बन्ध में संलग्नक सं० 13 सुसंगत है।
- (iv) महोदय यह भी अवगत कराना है कि दिनाँक 03. 12. 2021 को झाँसी क्लब झाँसी में आयोजित कार्यक्रम में अनुचित टिप्पणी करने के बावत श्रीमान जनपद न्यायाधीश को मेरे द्वारा कार्यवाही करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया लेकिन श्रीमान जनपद न्यायाधीश ने कोई संज्ञान नहीं लिया और न ही माननीय न्यायालय को संसूचित किया।
 - (v) महोदय यह भी अत्यन्त आश्चर्य का विषय है कि संलग्नक संo 16 (l) में श्री उदय राजपूत

अध्यक्ष व श्री छोटे लाल वर्मा सचिव जिला अधिवक्ता संघ झाँसी के निमन्त्रण पर श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया उक्त कायर्क्रय में सम्मिलित हो रहीं हैं, और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रही हैं लेकिन उन अध्यक्ष व सचिव के किसी शिकायती प्रार्थनापत्र को स्वंय के द्वारा दी गयी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में कहीं भी संलग्नक के रूप में नहीं दर्शाया है। इससे भी स्पष्ट है कि समस्त शिकायतें श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया द्वारा ही करायी गयी हैं, मुझ प्रार्थी की कोई भी शिकायत श्री उदय राजपूत अध्यक्ष व श्री छोटे लाल वर्मा सचिव जिला अधिवक्ता संघ झाँसी द्वारा की ही नहीं गयी है।

- 16. श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा संलग्न, संलग्नक सं० 05 लगायत 09 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया मुझ न्यायिक अधिकारी के प्रति बहुत अधिक विद्वेष व वैमनस्य का भाव रखती थी और उन्होंने व्यक्तिगत व विशेष रूप रूचि लेकर मेरे विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय को 1. Letter No. 520/ XV Dated 08. 03. 2022 (संलग्नक सं० 05), 2. Letter No. 523/ XV Dated 08. 03. 2022 (संलग्नक सं० 06), 3. Letter No. 759/ XV Dated 06. 04. 2022 (संलग्नक सं० 07), 4. Letter No. 871/ XV Dated 19. 04. 2022 (संलग्नक सं० 08) एवं 5. Letter No. 972/ XV Dated 30. 04. 2022 (संलग्नक सं० 08) प्रेषित किए और उनके पास इस बावत पर्याप्त समय था लेकिन मुझ प्रार्थी द्वारा प्रेषित अवमानना प्रार्थनापत्र को अग्रसारित करने के लिए ही समय नहीं था। इसी से स्पष्ट ज्ञात होता है कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश मुझ न्यायिक अधिकारी के प्रति किस प्रकार विदेष व वैमनस्य का भाव रखती थीं और उन्हीं के द्वारा संरक्षण दिये जाने पर संलग्नक सं० 06 में श्री संतोष कुमार दोहरे ने पेज नं० 03 पर इतने तुच्छ व अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करने का साहस किया।
- 17. (a) श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा संलग्न, संलग्नक सं० 10 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यह शिकायती प्रार्थनापत्र संतोष कुमार दोहरे के कहने पर ही प्रेषित किया गया है और यह शिकायती प्रार्थनापत्र श्री संतोष कुमार दोहरे के, मेरे न्यायालय से अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने के पश्चात अर्थात दिनाँक 20/23.02.2022 को प्रेषित किया गया जिसके पैरा 02 में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि "प्रार्थी/अभियुक्त को उसके अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश F. T. C. IInd में कार्यरत ADGC श्री संतोष कुमार दोहरे द्वारा बताया गया कि" इससे स्पष्ट है कि श्री संतोष कुमार दोहरे द्वारा यह झूठी शिकायत करवायी गयी है।
- (b) श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा संलग्न, संलग्नक सं० 11 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यह शिकायती प्रार्थनापत्र भी दिनाँक 10. 03. 2022 का है, और इसके पैरा 01 में लगभग वही शब्द प्रयोग

किये गये हैं, जिसका उल्लेख आख्या के पैरा 18. (a) में मुझ प्रार्थी द्वारा किया गया है।

- (c) श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा संलग्न, संलग्नक सं 12 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यह शिकायती प्रार्थनापत्र भी श्री संतोष कुमार दोहरे के झूठे शिकायती प्रार्थनापत्र के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।
- (d) श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा संलग्न, संलग्नक सं 13,15 व 17 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि (संलग्नक सं 13 व 15 एक ही हैं) प्रभारी निरीक्षक थाना नवाबाद जनपद झाँसी द्वारा न्यायालय के आदेश का अनुपालन जानबूझकर न करने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गयी।
- (e) श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा संलग्न, संलग्नक संo 14 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त मामले का शिकायतकर्ता व अभियुक्त, श्री संतोष कुमार दोहरे का मैली मददगार है। इस सम्बन्ध में मुझ प्रार्थी का निवेदन है कि पत्रावली मेरे पदभार ग्रहण करने के समय अर्थात लगभग दिनाँक 18.03.2020 से मेरे न्यायालय में विचाराधीन रही लेकिन 24 माह तक कभी भी उक्त शिकायतकर्ता/ अधिवक्ता ने कभी भी मेरे विरुद्ध कोई भी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया। उक्त अभियुक्त / अधिवक्ता को पिछले 24 माह में कभी भी मेरे कार्य, व्यवहार व आचरण के बावत कोई शिकायत नहीं हुई।

यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि उक्त मामले से सम्बन्धित क्रास केस में अभियुक्त आरिफ की माँ साक्ष्य देने आयीं थी। उक्त मामले में किस प्रकार से कितने साक्षीगणों का साक्ष्य अंकित कराया गया, यह पत्रावली का अवलोकन करने से ही ज्ञात हो सकता है, जिसके बावत शिकायतकर्ता/ अभियुक्त ने कोई भी कथन नहीं किया है।

- (f) श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा संलग्न, संलग्नक सं० 16 व 18 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया ने मेरे न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपने पूर्व आदेशों द्वारा स्थिगत (STAY) कर दिया था जिन्हें बाद में अपने आदेशों से स्वतः Vacate कर दिया।
- (g) श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा संलग्न, संलग्नक सं० 19 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस सम्बन्ध में श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया द्वारा संलग्नक सं० 22 में स्पष्ट अंकित है कि उक्त कागजात पेशकार को प्रदत्त नहीं कराया गया और न ही वह गार्ड फाईल में चस्पा है।

उक्त के सम्बन्ध में मेरे द्वारा अपने प्रत्यावेदन के पैरा 03 (v) (vi) में स्पष्ट उल्लेख किया गया है और संलग्नक सं० 02 (a) व 02 (b)) संलग्न किया गया है ।

(h) श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा संलग्न, संलग्नक सं० 20 व 21 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि तत्कालीन श्रीमान जनपद न्यायाधीश को प्रेषित आख्या व कर्मचारीगणों के स्पष्टीकरण एवं श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा दी गयी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2019-2020 को संलग्न नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में संलग्नक सं० 09, संलग्न किया गया है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरे प्रत्यावेदन को माननीय न्यायालय के समक्ष रखे जाने की कृपा करें तथा माननीय न्यायालय से करबद्ध निवेदन है कि प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ है, उस विलम्ब को माफ करते हुए, मुझ प्रार्थी के प्रत्यावेदन में वर्णित आधारों व संलग्न, संलग्नकों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए, श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा वर्ष 2021- 2022 में दी गयी प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि को निरस्त (Expunge) कर उचित प्रविष्टि दिये जाने की महती कृपा करने की कृपा करें। प्रार्थी माननीय न्यायालय का सदैव आभारी रहेगा।

भवदीय

दिनाँकः 31. 08. 2022

(विमल प्रकाश आर्य) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C. - IInd) बलरामपुर । (चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।